[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 36/2018- सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 13 जुलाई, 2018

सा.का.नि. .... (अ.) जहां कि थाईलैंड और चीन जनवादी गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "ग्राइन्डिंग मीडिया बॉल्स" (फोर्ज्ड ग्राइन्डिंग मीडिया बॉल्स को छोड़कर) (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 73 के अंतर्गत वर्गीकृत है, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 36/2012-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 16 जुलाई, 2012, जिसे सा.का.नि. 568 (अ), दिनांक 16 जुलाई, 2012 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था के तहत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को, जिसे भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 34/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 13 जुलाई, 2017, जिसे सा.का.नि. 878 (अ), दिनांक 13 जुलाई, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा आगे भी बढ़ाया गया था, जारी रखने के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 7/7/2017-डीजीएडी, दिनांक 04 जुलाई, 2017-डीजीएडी, जिसे दिनांक 04 जुलाई, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, के तहत तथा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9(क) की उप धारा (5) के अनुसार और सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण एवं क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के अनुपालन में समीक्षा का कार्य शुरू किया था और अधिसूचना संख्या 7/7/2017-डीजीएडी, दिनांक 11 जून, 2018, जिसे दिनांक 11 जून, 2018 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, के तहत आगे जारी रखने की सिफारिश की है;

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप धारा (5) के साथ पठित उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उप शीर्ष के अंतर्गत आती हैं,

कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विषयगत देश में मूलत: उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट देश से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट निर्यातकों द्वारा निर्यातित है, पर उक्त सारणी के कॉलम (8) में यथा विनिर्दिष्ट प्रति माप इकाई मुद्रा में तत्संबंधी राशि की दर से प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा -

सारणी

क्र.सं.	उप शीर्ष	वस्तु का विवरण	मूलत: उत्पादन वाला देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क यूएसडी /एम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	7325 9100	"ग्राइन्डिंग मीडिया बॉल्स" (फोर्जड ग्राइन्डिंग मीडिया बॉल्स को छोड़कर)	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	कोई भी	387.36
2	-तदैव-	-तदैव-	कोई भी	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	कोई भी	387.36
3	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	कोई भी	कोई भी	387.36
4	-तदैव-	-तदैव-	थाईलैंड	थाईलैंड	मैगोटक्स कं.लि., थाईलैंड	मैगोटक्स कं.लि., थाईलैंड	158.80
5	-तदैव-	-तदैव-	थाईलैंड	थाईलैंड	मैगोटक्स कं.लि.,थाईलैंड को छोड़कर कोई भी		187
6	-तदैव-	-तदैव-	कोई भी	थाईलैंड	कोई भी	कोई भी	187
7	-तदैव-	-तदैव-	थाईलैंड	कोई भी	कोई भी	कोई भी	187

2. लगाए गए या प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 05 वर्ष की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

[फाइल संख्या-354/92/2012 -टीआरयू]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार